उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग – 1
संख्या– 418 / 07(130) 2016 / XXVII(1) / 2020
देहरादून : दिनांक: 05 जून, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

सामान्य सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सरकार, वित्त विभाग की अधिसूचना सं0–**378** / XXVII(1) / 2010, दिनांक **02.07.2010** के अनुसार जारी **8.12 प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य विकास ऋण, 2020** की बकाया शेष राशि की **07 जुलाई, 2020** तक देय समस्त ब्याज के साथ सम्मूल्य पर चुकौती **06 जुलाई, 2020** को की जायेगी। किसी राज्य सरकार द्वारा उक्त तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अन्तर्गत अवकाश घोषित किये जाने पर उस राज्य में स्थित अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा उक्त ऋण की चुकौती पिछले कार्य दिवस को की जायेगी। उक्त ऋण पर **07 जुलाई, 2020** से कोई ब्याज उपचित नहीं होगा।

2– गवर्नमेंट सिक्युरिटीज रेग्यूलेशन्स, 2007 के सब–रेग्यूलेशन 24 (2) और 24 (3) के अनुसार पेमेन्ट ऑफ मेच्युरिटी प्रोसीट्स पंजीकृत सरकारी प्रतिभूति धारक की सबसिडियरी जनरल लेजर अथवा कॉन्सटिट्यूट सबसिडियरी जनरल लेजर एकाउन्ट अथवा सटॉक सर्टिफिकेट के रूप में रखी है, का भुगतान सभी सुसंगत विशिष्टताओं को सम्मिलित करते हुए पे ऑर्डर के माध्यम से उसके बैंक खाते अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से क्रेडिट कर दी जायेगी। प्रतिभूतियों के भुगतान के सम्बन्ध में मूल सब्सक्रइबर अथवा सबसिक्वेंट होल्डर्स सरकारी प्रतिभूतियों को, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित बैंक, कोषागार और उपकोषागार अथवा स्टेट बैंक की शाखा अथवा इसकी सबसिडियरी ब्रांच जहां पर ब्याज के भुगतान हेतु मुखांकित / पंजीकृत हों, जैसी भी स्थिति हो सुसंगत विशिष्टताओं के अनुसार भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

3– नियत तारीख को चुकौती में सुविधा हो, इस दृष्टि से **8.12 प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य विकास ऋण 2020** के धारकों को चाहिये कि वे अपनी प्रतिभूतियां लोक ऋण कार्यालय, कोषागार, उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहयोगी बैंक की शाखा, जहां वे ब्याज के भुगतान के लिय मुखांकित / पंजीकृत हों, के पास 20 दिन पहले प्रस्तुत करें। चुकौती के लिये प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां उनके पीछे की ओर निम्न प्रकार से विधिवत् उन्मोचित की जानी चाहिये :–

"प्रमाण पत्र पर देय मूलधन प्राप्त हुआ"।

4– यह विशेष रूप से नोट किया जाना चाहिए कि ऐसे स्थानों पर जहां भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंक की शाखा द्वारा कोषागार कार्य किया जाता है। वहां यदि प्रतिभूतियां स्टॉक प्रमाण पत्र के रूप में हों तो उन्हें सम्बन्धित बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, न कि कोषागार या उप कोषागार में।

Scanned with CamScanner

जहां पर प्रतिभूतियां भुगतान के लिये मुखांकित की गयी हों उससे इतर स्थानों पर भुगतान के इच्छुक धारकों को चाहिए कि वे उन्हें विधिवत् उन्मोचित करते हुए सम्बन्धित लोक ऋण कार्यालय के पास पंजीकृत एवं बीमाकृत डाक द्वारा भेज दें। उक्त लोक ऋण कार्यालय किसी कोषागार/उप कोषागार या उत्तराखण्ड राज्य में सरकारी कोषागार के कार्य करने वाली भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंकों की शाखा में देय ड्राफ्ट जारी करते हुए भुगतान करेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

Scanned with CamScanner